


विशेष बैंक प्रकरण संख्या 55/2020(GCMS : 2020/00141) एच.डी.एफ.सी.
बैंक लि. रजिस्टर्ड ऑफिस एच.डी.एफ.सी. बैंक हाउस, सेनापती बपत मार्ग,
लोवेर परेल (पश्चिम), मुम्बई तथा शाखा कार्यालय टाइम्स स्कवायर्स, 10,
सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रेरक भार्गव
बनाम 1. त्रिवेणी एग्रो ट्रेडर्स प्रा. लि. वास्ते निदेशक सुभाषचन्द्र मिश्रा एवं
जयश्री मिश्रा पता शॉप नं. 4 व 5, प्लॉट नं. 801, शास्त्री नगर, दादाबाड़ी,
कोटा-324009 2. सुभाषचन्द्र मिश्रा पुत्र बृजलाल मिश्रा निवासी म.स. 281,
प्रतापनगर, दादाबाड़ी कोटा 324009 अन्य पता प्लॉट नं 41-ई, वसुन्दरा
हॉस्पिटल के सामने, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर-335804 3. जयश्री मिश्रा
पत्नी सुभाषचन्द्र मिश्रा निवासी म.स. 281, प्रताप नगर, दादाबाड़ी, कोटा
324009

05.04.2021



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री अनिल सोनी,
अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक की ओर से
अप्रार्थीगण त्रिवेणी एग्रो ट्रेडर्स प्रा. लि. वास्ते निदेशक सुभाषचन्द्र मिश्रा एवं
जयश्री मिश्रा, सुभाषचन्द्र मिश्रा और जयश्री मिश्रा द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण
का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी सुभाषचन्द्र
मिश्रा द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति प्लॉट नं. 41 ई(क्षेत्रफल 50 गुणा 60
फीट), वार्ड नं. 13, विवेकानन्द नगर, सूरतगढ़ का भौतिक कब्जा प्राप्ति के
लिए धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति
हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2020 को
प्रस्तुत किया हुआ है और अब प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों के विरुद्ध
किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है अर्थात् नॉट प्रैस करता है
और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है
तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट

श्री मंगानगर

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 31.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक के द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण त्रिवेणी एग्रो ट्रेडर्स प्रा. लि. वास्ते निदेशक सुभाषचन्द्र मिश्रा एवं जयश्री मिश्रा, सुभाषचन्द्र मिश्रा और जयश्री मिश्रा के विरुद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अप्रार्थी सुभाषचन्द्र मिश्रा द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति प्लॉट नं. 41 ई (क्षेत्रफल 50 गुणा 60 फीट), वार्ड नं. 13, विवेकानन्द नगर, सूरतगढ, का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब प्रार्थी बैंक द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि वे इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का नोट (नॉटप्रैस) भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर अंकित किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 31.07.2020 को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर